आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

आदेश

वाद संख्या–सी0आर0एम0–18/12–13

मलख राम

बनाम

बिहार सरकार

27/12/11

यह अपील श्री मलख राम वल्द–गेना राम सा0–बरवा शानी थाना–योगापट्टी (नवलपुर) द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया के उस आदेश दिनांक 27.07.2011 के विरूद्ध अपील दायर किया गया है जिसके द्वारा अपीलकर्ता के जन वितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या–87/2007 को तत्कालीन प्रभाव से रदद् कर दिया गया है। अपील आवेदन प्राप्ति के पश्चात निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी है जो प्राप्त हुआ है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी योगापट्टी ने दिनांक 11.07.2011 को नवलपुर थाना के गश्ती के दौरान 20(बीस) बोरा चावल जन वितरण प्रणाली के दुकान मलख राम को कालाबाजारी करते हुए पकड़ा। पूछताछ के क्रम में पता चला कि उक्त खाद्यान्न विश्वनाथ साह पिता–स्व0 लक्ष्मी साह सा0–चौबे टोला के हाथों बेचा गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया से अनुमति प्राप्त कर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी–सह– प्रखंड विकास पदाधिकारी, योगापट्टी ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा –7 के अंतर्गत नवलपुर थाना में प्राथमिकी संख्या–200 दिनांक 14.07.2011 दर्ज कराते हुए प्राथमिकी की छायाप्रति अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया को दी गयी।

अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर द्वारा जन वितरण प्रणाली के दुकानदार मलख राम को कालाबाजारी करने के आरोप में तथा नवलपुर थाना में इनके विरूद्ध में प्राथमिकी दर्ज होने के कारण इनके अनुज्ञप्ति संख्या–87/2007 को तत्कालीक प्रभाव से रदद् कर दिया गया है।

अपीलकर्ता द्वारा निम्नांकित तथ्यों के आधार पर अनुमंडल

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	पदाधिकारी, बेतिया के आदेश को रदद् करने हेतु अनुरोध किया है :—	

1. अपीलकर्ता का कहना है कि उन्हें कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु कोई नोटिस नही दी गयी और न सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर ही दिया गया।
2. अपीलकर्ता का कहना है कि उन्होनें कालाबाजारी के नियत से कोई भी सामग्री नही बेचा है, इसके पुष्टि में उनका कहना है कि जप्ती सूची दिनांक 11.07.2011 को बनाई गयी जबकि उनके भण्डार पंजी का सत्यापन दिनांक 12.07.2011 को किया गया जिसमें कोई भी अनियमितता नही पाई गयी, और उनके विरूद्ध प्राथमिकी दिनांक 14.07.2011 को दर्ज की गयी।
3. अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि चावल का भंडारन 669.40 किलो ग्राम और आवंटि गेहूँ श्री हीरालाल साह को दिनांक 28.10.2011 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, योगापट्टी की उपस्थिति में सौंपा गया। अतः कालाबाजारी करने को कोई प्रश्न ही नही उठता है।

दोनों पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया और निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया के आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी—सह—प्रखंड विकास पदधिकारी योगापट्टी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 11.07.2011 को नवलपुर थाना के गश्ती के दौरान बीस बोरा चावल पकड़ा गया है। पूछताछ के क्रम में पता चला कि उक्त खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली के विक्रेता श्री गलख राम द्वारा अधिक मुनाफा खोरी के नियत से कालाबाजारी कर विश्वनाथ साह के हाथों बेचा गया है। ग्रामीणों को देखकर विश्वनाथ साह भाग खड़े हुए। फलतः खाद्यान्न को जप्त कर विक्रेता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है। एवं अनुमंडल पदाधिकारी, ने अपने ज्ञापांक 410/आ0, दिनांक 27.07.2011 से आवेदक का अनुज्ञप्ति रदद् कर दी।

अपीलकर्ता द्वारा यह प्रमुख बिन्दु उठाया गया है कि उन्हें इस कार्रवाई के दौरान सुनवाई का कोई मौका नही दिया गया। अभिलेख के अवलोकन से भी उपरोक्त तथ्य प्रमाणित होता है। अतः यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया के आदेश दिनांक 12.07.2011 को रदद् करते हुए अभिलेख को इस निदेश के साथ उन्हें रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलकर्ता से कारण पृच्छा प्राप्त करें एवं उन्हें सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान कर मुखर आदेश पारित करें। लेखापित एवं संशोधित। 27/12 जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 27/12 जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	